



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-02012026-269022
CG-OR-E-02012026-269022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5950]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5950]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 31 दिसम्बर, 2025

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 6160 (अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 700/27-29 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-390 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/टेक्नाली को वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 700/27-29 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-390 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के

पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर पुंडी – नौपाड़ा के बीच किमी 700/27-29 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-390 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम और राज्य: श्रीकाकुलम, औरआंध्र प्रदेश

(अनुलग्नक1)

गांव का नाम: पाठा नवापाड़ा			मंडल: तेक्काली			जिला: श्रीकाकुलम	
क्र.सं.	गांव का नाम	खाता संख्या	सर्वे नंबर/ एल. पी. एम. नंबर	एकड़ में कुल क्षेत्रफल	एकड़ में अधिग्रहित क्षेत्र	वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	पाठा नवापाड़ा	20000506	260	28.39	2.46	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि (चेरुवु)
2	पाठा नवापाड़ा	20002301	255	4.69	0.486	सरकारी भूमि	रेलवे भूमि
3	पाठा नवापाड़ा	20002301	256	9.32	0.167	सरकारी भूमि	रेलवे भूमि
4	पाठा नवापाड़ा	लेआउट (कोई खाता नंबर नहीं)	940	3.85	0.657	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
5	पाठा नवापाड़ा	20000506	1139	17.3	0.107	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि(चेरुवु)
6	पाठा नवापाड़ा	643-644-646	941	1.88	0.072	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
7	पाठा नवापाड़ा	571	943	0.09	0.059	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
8	पाठा नवापाड़ा	410	944	0.25	0.213	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
9	पाठा नवापाड़ा	267	949	1.41	0.019	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
10	पाठा नवापाड़ा	421	950	0.41	0.028	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
11	पाठा नवापाड़ा	571	948	0.18	0.17	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
12	पाठा नवापाड़ा	199	946	0.14	0.015	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
13	पाठा नवापाड़ा	11	947	0.18	0.017	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
14	पाठा नवापाड़ा	199	954	0.29	0.006	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
15	पाठा नवापाड़ा	11	908	0.44	0.149	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि

16	पाठा नवापाड़ा	426	907	1.6	0.277	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
17	पाठा नवापाड़ा	14	906	0.34	0.124	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
18	पाठा नवापाड़ा	743	904	1.15	0.503	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
19	पाठा नवापाड़ा	449	903	1.18	0.376	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
20	पाठा नवापाड़ा	20000506	1138	23.21	0.866	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि(चेरुवु)
21	पाठा नवापाड़ा	20000509	545	0.17	0.05	सरकारी भूमि	सरकारी भूमि(कलुवा)
22	पाठा नवापाड़ा	618	586	0.31	0.071	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
23	पाठा नवापाड़ा	353	580	0.09	0.019	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
24	पाठा नवापाड़ा	324	951	0.32	0.097	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
25	पाठा नवापाड़ा	843	945	1.57	0.637	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
26	पाठा नवापाड़ा	748	272	0.88	0.046	रायथवारी वेट लैंड	निजी भूमि
Total Extent					7.038		

[फा. सं. CAO/CON/RSP/WAT/ROBs/390/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Central Railway(Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 31st December, 2025

Notice under Section 20A of the Railways Act - 1989

S.O. 6160 (E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “**Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-390 at Km 700/27-29 between Pundi - Naupada on Main Line of Waltair Division**” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority Land Acquisition (CALA) i.e. The Revenue Divisional officer (RDO), Tekkali for Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-390 at Km 700/27-29 between Pundi - Naupada on Main Line of Waltair Division**” in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project namely “**Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-390 at Km 700/27-29 between Pundi - Naupada on Main Line of Waltair Division**” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh.

Name of the District & State: Srikakulam & Andhra Pradesh

(Annexure-I)

Village: Patha Naupada			Mandal: Tekkali			District: Srikakulam	
Sl.No.	Name of the Village	Khata No.	LP No /Sy-Sub-Div No.	Total extent in acres	Extent under Acquisition in Acres	Classification	Type of land
1	Patha Nawpada	20000506	260	28.39	2.46	Government Land	Government Land (Cheruvu)
2	Patha Nawpada	20002301	255	4.69	0.486	Government Land	Railway Land
3	Patha Nawpada	20002301	256	9.32	0.167	Government Land	Railway Land
4	Patha Nawpada	Layout (No Khata Number)	940	3.85	0.657	Rythwari Wet Land	Private Land
5	Patha Nawpada	20000506	1139	17.3	0.107	Government Land	Government Land (Cheruvu)
6	Patha Nawpada	643-644-646	941	1.88	0.072	Rythwari Wet Land	Private Land
7	Patha Nawpada	571	943	0.09	0.059	Rythwari Wet Land	Private Land
8	Patha Nawpada	410	944	0.25	0.213	Rythwari Wet Land	Private Land
9	Patha Nawpada	267	949	1.41	0.019	Rythwari Wet Land	Private Land
10	Patha Nawpada	421	950	0.41	0.028	Rythwari Wet Land	Private Land
11	Patha Nawpada	571	948	0.18	0.17	Rythwari Wet Land	Private Land
12	Patha Nawpada	199	946	0.14	0.015	Rythwari Wet Land	Private Land
13	Patha Nawpada	11	947	0.18	0.017	Rythwari Wet Land	Private Land
14	Patha Nawpada	199	954	0.29	0.006	Rythwari Wet Land	Private Land
15	Patha Nawpada	11	908	0.44	0.149	Rythwari Wet Land	Private Land
16	Patha Nawpada	426	907	1.6	0.277	Rythwari Wet Land	Private Land
17	Patha Nawpada	14	906	0.34	0.124	Rythwari Wet Land	Private Land
18	Patha Nawpada	743	904	1.15	0.503	Rythwari Wet Land	Private Land
19	Patha Nawpada	449	903	1.18	0.376	Rythwari Wet Land	Private Land
20	Patha Nawpada	20000506	1138	23.21	0.866	Government Land	Government Land (Cheruvu)
21	Patha Nawpada	20000509	545	0.17	0.05	Government Land	Government Land (Kaluva)
22	Patha Nawpada	618	586	0.31	0.071	Rythwari Wet Land	Private Land
23	Patha Nawpada	353	580	0.09	0.019	Rythwari Wet Land	Private Land
24	Patha Nawpada	324	951	0.32	0.097	Rythwari Wet Land	Private Land

25	Patha Nawpada	843	945	1.57	0.637	Rythwari Wet Land	Private Land
26	Patha Nawpada	748	272	0.88	0.046	Rythwari Wet Land	Private Land
Total Extent					7.038		

[F. No. CAO/CON/RSP/WAT/ROBs/390/20A]
 AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Construction-II)